सिविल मिसेलेनियस

समाक्ष डी. एस. तेवतिया, न्यायमूर्ति

ज़िले सिंह,-याचिकाकर्ता,

बनाम

डिप्टी कमिश्नर, सोनीपत, आदि-उत्तरदाता।

1975 की सिविल वायरिट याचिका संख्या 1070।

8 जुलाई, 1975।

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चौथा) हरियाणा विधानमंडल संशोधन अधिनियम 1971 के 29 द्वारा संशोधित-धारा 5 और 9-निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अलग रखे गए पंचों का चुनाव-ऐसे पंचों द्वारा सह-चुने गए सदस्य-क्या ग्राम पंचायत का सदस्य बना रह सकता है-ऐसे सह-विकल्प को चुनौती-क्या औपचारिक आवेदन के माध्यम से किया जाए।

अभिनिर्धारित किया गया कि सह-विकल्प ग्राम पंचायत के सदस्यों में से एक के चुनाव के अलावा और कुछ नहीं है; अंतर केवल इतना है कि सह-विकल्प के मामले में निर्वाचक मंडल में ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंच होते हैं जबकि अन्य निर्वाचित सदस्यों के संबंध में ग्राम सभा का प्रत्येक वयस्क सदस्य कम से कम 21 वर्ष की आयु का निर्वाचक मंडल बनाता है जो ग्राम पंचायत के लिए पंचों का चुनाव करता है। यदि ग्राम पंचायत के सदस्य को सह-चुनने वाले निर्वाचक मंडल का गठन करने वाले पंचों में से कोई भी कानूनी रूप से पंच के रूप में नहीं चुना गया था, तो उनके द्वारा सह-विकल्प स्वचालित रूप से शून्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सह-चयनित सदस्य पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 9 द्वारा परिकल्पित पांच वर्षों के पूर्ण कार्यकाल का आनंद लेने का हकदार नहीं है। सह-विकल्प को ग्राम पंचायत के लिए पूरे चुनाव को अलग रखने वाले निर्धारित प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप निहितार्थ से शून्य होने के कारण, निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष औपचारिक आवेदन के माध्यम से सह-विकल्प को चुनौती देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

(पैरा 7,8 और 9)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में प्रार्थना की गई है कि मण्डमस की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जो उसने प्रत्यर्थियों को जारी किया है संख्या 1 और 2, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे 19 जनवरी, 1975 को चुने गए पंचों द्वारा ग्राम पंचायत की महिला पंच, चिरास्मी के सह-विकल्प के लिए कदम उठाएं, कानून के अनुसार और याचिकाकर्ता को अनुलग्नक टी-1, पी-2 और पी-3 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए, क्योंकि यह आसानी से

या तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकता है और मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थियों पर एकतरफा अंतरिम राहत, जारी करने और अग्रिम प्रस्ताव की सेवा के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है।

याचिकाकर्ता की ओर से सुरिंदर सरूप, अधिवक्ता।

एच. एस. हुड्डा, प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता।

फैसला

तेवतिया, न्यायमूर्ति:-

(1) इस रिट याचिका में निर्धारण के लिए जो छोटा बिंदु, हालांकि एक दिलचस्प है, वह यह है कि क्या ग्राम पंचायत का कोई सह-सदस्य उन सभी पंचों के चुनाव के बाद भी ग्राम पंचायत का सदस्य बना रह सकता है, जिन्होंने उसे चुना था, क्योंकि अवैध रूप से और ग्राम पंचायत के लिए नए सिरे से चुनाव किया जाता है।

(2) इस बिंदु को समझने के लिए, जिस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जून, 1971 के महीने में हुए चुनाव में याचिकाकर्ता को अन्य लोगों के साथ ग्राम चिरास्मी की ग्राम पंचायत के लिए पंच चुना गया था। 1971 के हरियाणा विधानमंडल संशोधन अधिनियम संख्या 29 द्वारा संशोधित पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में एक सह-विकल्प में (जिसे इसके बाद पंचायत अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) श्रीमती शांति (प्रतिवादी संख्या 3 को महिला पंच के रूप में चुना गया था)। पंचायत अधिनियम की धारा 5 का प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में है: –

5 * * * * *

(3) ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी पंचों की संख्या होगी जो पाँच से कम या नौ से अधिक नहीं होगी जो सरकार सभा क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे और ऐसे पंच सभा द्वारा, निर्धारित रीति से, अपने सदस्यों में से चुने जाएंगे: बशर्ते कि यदि कोई महिला किसी ग्राम पंचायत की पंच के रूप में निर्वाचित नहीं होती है तो निर्वाचित पंच, निर्धारित रीति से, सभा की ऐसी महिला सदस्य को पंच के रूप में सह-चयन करेंगे जो इस प्रकार निर्वाचित होने के लिए योग्य है; और (4) (3) उपधारा (2) के परन्तुक के तहत पंच के रूप में सह-चयनित प्रत्येक महिला को ग्राम पंचायत की बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा।

(5) * * * * * * * (6) * * *

(7) पंचों के चुनाव और महिला पंच के सह-विकल्प, यदि कोई हो, के तुरंत बाद पंचों द्वारा निर्धारित तरीके से आपस में से एक पंच का चुनाव किया जाएगा।

(3) उनके सह-विकल्प से पहले, एक असफल उम्मीदवार हरि चंद ने जून, 1971 में हुए पूरे चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि उनके नामांकन पत्र गलत और अवैध रूप से खारिज कर दिए गए थे। निर्धारित प्राधिकारी ने 6 अगस्त, 1973 के अपने आदेश के अनुसार उनकी चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया और जून, 1971 में हुए चुनाव को रद्द कर दिया। वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता और अन्य ने सिविल रिट याचिका संख्या 1973 (ज़िले सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) के

माध्यम से निर्धारित प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी, जिस याचिका का अंत में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय लिया गया, जिसमें निर्धारित प्राधिकारी का आदेश कायम रहा और जिसके परिणामस्वरूप 19 जनवरी, 1975 को उपरोक्त पंचायत के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के साथ पंच चुना गया।

(4 (4) याचिकाकर्ता ने महिला पंच के सह-विकल्प के लिए तारीख तय करने के लिए दिनांक 30 जनवरी, 1975 को एक आवेदन के माध्यम से उपायुक्त, सोनीपत (प्रतिवादी संख्या 1) से संपर्क किया। उपायुक्त ने महिला पंच के चयन की तारीख नियत करने के स्थान पर 15 मार्च, 1975 को प्रातः 10:00 बजे पंच का निर्वाचन कराने का आदेश दिया, जिसका नोटिस खंड विकास और पंचायत अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2) द्वारा याचिकाकर्ता और अन्य पंचों को जारी किया गया था, जो याचिका के साथ अनुलग्नक पी 4 के रूप में संलग्न है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का रुख किया, जिसमें उपायुक्त को एक आदेश जारी करने के लिए कहा गया था कि महिला पंच को चुनने के लिए एक तारीख तय की जाए।

(5) श्रीमती शांति (प्रत्यर्थी संख्या 3) की ओर से दाखिल विवरणी में यह याचिका दायर की गई है कि एक बार ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में सह-चयनित होने के बाद, वह पंचायत अधिनियम की धारा 9 के तहत पंचायत के सदस्य के लिए निर्धारित कार्यकाल 5 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में बने रहने की हकदार थी, जब तक कि सह-विकल्प निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अलग नहीं किया गया था।

(6) न तो अधिनियम और न ही उसके तहत बनाए गए नियमों में उस आकस्मिकता का प्रावधान है जो वर्तमान मामले में उत्पन्न हुई है और न ही इससे पहले, किसी भी न्यायालय को इस तरह के विवाद पर निर्णय देने का अवसर मिला है। इसलिए, सही मायने में इंटीग्रा स्नेल होने का मुद्दा पहले सिद्धांतों पर और शुष्क सामान्य ज्ञान के लिए अपील करने वाले दृष्टिकोण के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

(7) जाहिर है, सह-विकल्प ग्राम पंचायत के सदस्यों में से एक के रूप में एक महिला सदस्य के चुनाव के अलावा और कुछ नहीं है, उसके पुरुष समकक्ष से केवल अंतर इस तथ्य में है कि उसके मामले में निर्वाचक मंडल में ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंच शामिल हैं, जबकि उसके निर्वाचित पुरुष सदस्यों के संबंध में, प्रत्येक वयस्क सदस्य ग्राम सभा-रूपों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं है, निर्वाचक मंडल जो ग्राम पंचायत के लिए पंचों का चुनाव करता है।

(8) एक बार यह निर्णय लिया जाता है कि निर्वाचक मंडल का गठन करने वाले पंचों में से कोई भी, जिसने श्रीमती शांति (प्रत्यर्थी संख्या 3) को ग्राम पंचायत की महिला सदस्य के रूप में सह-चुना था, कानूनी रूप से पंच के रूप में नहीं चुना गया था, तो उनके द्वारा श्रीमती शांति (प्रत्यर्थी संख्या 3) का सह-चयन स्वतः ही अमान्य हो गया।

(9) जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 3 की याचिका का संबंध है कि वह पंचायत अधिनियम की धारा 9 द्वारा परिकल्पित 5 वर्ष की पूर्ण अवधि का आनंद लेने की हकदार थी, जब तक कि महिला सदस्य के रूप में उसका चयन निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अलग नहीं किया गया था, यह देखा जाना चाहिए कि उक्त याचिका में खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है। 29 जून, 1971 को हुए ग्राम पंचायत के पूरे चुनाव को निरस्त करने के निर्धारित प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप उनके सह-विकल्प को शून्य कर दिया गया

था, इसलिए निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष औपचारिक आवेदन के माध्यम से महिला सदस्य के रूप में उनके सह-विकल्प को चुनौती देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था।

(10) चूंकि पंच का चुनाव पंचायत अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (6) द्वारा परिकल्पित महिला सदस्य के चयन के बाद ही किया जा सकता है, इसलिए पंचों को 15 मार्च, 1975 को सुबह 10:00 बजे एक बैठक में एकत्रित होने के लिए नोटिस, अनुलग्नक पी 4, स्पष्ट रूप से पंचायत अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन था।

(11) बताए गए कारणों से, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और सोनीपत के उपायुक्त को निर्देश देता हूं कि वे पंचों द्वारा महिला पंच के सह-चयन के लिए एक तारीख तय करें और उसके बाद ही पंचों को एक बैठक में इकट्ठा होने की आवश्यकता होती है। उपायुक्त को आगे निर्देश दिया जाता है कि पंच के चुनाव की पूरी प्रक्रिया आज से दो महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। हालांकि, पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

एच एस बी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा